

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 415 / 14

संस्थापन दिनांक : 23.05.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामसिंह पुत्र हरिकण्ठसिंह गुर्जर, उम्र 22 वर्ष
निवासी ग्राम डांग सरकार थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 28.03.14 को 08:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने हाईवे रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए.ए.5301 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.03.14 को फरियादी महेन्द्र अ0सा02 अपनी गोहद चौराहा वाली दुकान पर से मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.बी.1798 टी.व्ही.एस.स्टारसिटी से अपने गांव बिरखड़ी जा रहा था पीछे मोटरसाइकिल पर कल्यानसिंह रावत अ0सा03 बैठे थे समय करीबन साढ़े आठ बजे का होगा तभी दिलीपसिंह के पुरा के सामने हाईवे रोड पर उसके आगे ट्रैक्टर जो कल्लू उर्फ कल्ली गुर्जर निवासी डांग का जा रहा था उसके चालक ने अपने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी व लापरवाही उतावलेपन से चलाकर बिना संकेत दिये अपने ट्रैक्टर को दिलीपसिंह के पुरा की रोड तरफ मोड़ दिया जिससे उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर लगी तथा उसके बांये हाथ की कलाई के पोंहचा

तथा बांये पैर के घोंटू की परिया में चोट लगी फिर उसे कल्याण रावत अ0सा03 एम्बुलेंस से अस्पताल गोहद ले आया। तपश्चात फरियादी महेन्द्र अ0सा02 की रिपोर्ट पर देहाती नालिसी प्र0पी-2 दर्ज कर थाना गोहद चौराहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क्र0 84/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 28.03.14 को 08:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने हाईवे रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए.ए.5301 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी महेन्द्र अ0सा02 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व वह और कल्याणसिंह अ0सा03 प्रातःकाल में मोटरसाइकिल से ग्राम बिरखड़ी जा रहे थे तब दिलीपसिंह के पुरा के सामने उसका ट्रैक्टर से एक्सीडेन्ट हो गया क्योंकि रोड खराब थी जब वह उपचार के लिए चिकित्सालय गया था तब चिकित्सकों ने उपचार के पूर्व पुलिस को बुला लिया और अस्पताल में कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे जिनमें क्या लिखा था उसने नहीं पढ़ा। देहाती नालिसी प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 28.03.14 को आरोपी कल्लू ने बिना संकेत दिए उपेक्षापूर्वक ट्रैक्टर को रोककर मोड़ दिया। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. कल्याणसिंह अ0सा03 ने भी महेन्द्र अ0सा02 के कथन का समर्थन किया है कि दिलीपसिंह के पुरा पर रोड खराब होने के कारण उनका एक्सीडेन्ट हो गया था। नक्शामौका प्र0पी-5 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 28.03.14 को आरोपी कल्लू ने बिना संकेत दिए उपेक्षापूर्वक ट्रैक्टर को रोककर मोड़ दिया। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-6 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. प्रकरण में अभियोजन द्वारा साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा01 का कथन कराया गया है जिन्होंने उपहति के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य दी है परन्तु उपहति के संबंध में उभयपक्ष का शमन हो गया है इसलिए उक्त कथन तात्विक नहीं है।
8. प्रकरण में उक्त दोनों परीक्षित कराये गये साक्षी महेन्द्र अ0सा02 और कल्याण अ0सा03 के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं

है और उक्त दोनों प्रत्यक्ष साक्षीगण ने दुर्घटना रोड खराब होने के कारण बतायी है और आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन परिचालित किए जाने के सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है। अतः उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 28.03.14 को 08:30 बजे दिलीपसिंह के पुरा के सामने हाईवे रोड थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए.ए.5301 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

9. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
11. प्रकरण में जप्त ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए.ए.5301 आवेदक राधामोहन की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0